/98565/2023

ई0 पत्रावली संख्या–45931

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 13 फरवरी, 2023**

विषयः– राज्य सैक्टर नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5488/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27(योजना), दिनांक 29.11.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य मद के अन्तर्गत योजना हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत रू0 60.38 लाख (रूपये साठ लाख अडतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में संगत मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त (60 प्रतिशत) के रूप में रू0 36.23 लाख (रूपये छत्तीस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत।	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
	जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट ग्राम पोथिंग में स्थित सुकुण्डा जलाशय के सौन्दर्यकरण एवं संरक्षण कार्य का प्राक्कलन। (मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0–1680/2021)	60.38	36.23

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047, दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

/98565/2023

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय।

(ix) आगणन में उल्लिखित आवश्यकता/औचित्य के क्रम में प्रस्तावित किये गये कार्य व उस पर व्यय होने वाली धनराशि की उपादेयता की पुष्टि अवश्य की जाये।

(x) उक्त योजना पर वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वन विभाग की सहमति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(xi) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत संशोधन तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सैक्टर नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य मद में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4701-00-001-05-00-53-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक-97700/2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 10-02-2023 18:55:24

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या-45931

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-02-2023 11:25:28

(जे0एल0 शर्मा)